शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री विजेन्द्र गुप्ता.

दिनांक : 26.03.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 303

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि पिछले तीन माह से दिल्ली में सीलिंग जारी है;	**पूर्वी दिल्ली नगर निगम** जी हां । **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** जी हां । **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** जी हां ।
ख	यदि हॉ, तो सरकार ने व्यापारियों को इससे राहत देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;	**शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)** सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मौनटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छुट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** डी.डी.ए. ने मास्टर प्लान में संशोधन करके व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की परन्तु यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
ग	क्या व्यापारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार का इस मामले को को लेकनर सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है;	**शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)** उपरोक्त 'ख' के अनुसार **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** इस विषय में डी.डी.ए. एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा एफिडेविट फाईल किये जा चूके हैं।
घ	माननीय उपराज्यपाल से 8 फरवरी को मंजूरी मिलने के बाद भी 351 सड़को को सीलिंग से राहत देने की फाइल पर अब तक कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;	**शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)** सरकार इस विषय में अंतरिम आवेदन माननीय मौनटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट में 351 सड़कों पर सिलिंग के विषय में छुट देने के लिए अंतरिम आवेदन फाईल कर चुकी है। **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 04.05.2007 को 307 सड़कें एवं दिनांक 07.05.2007 को 44 सड़कें स्टैंडिंग कमेटी से पास कराकर तथा तत्पश्चात निगम से स्वीकृत करवाकर 351 सड़कों (307+44) के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार को भेज दिया था तथा दिल्ली सरकार द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, उनका जबाव भी निगम के द्वारा दिल्ली सरकार को भेज दिया गया था।
ड़	क्या यह सत्य है कि सरकार मॉनिटरिंग कमेटी से बातचीत कर व्यापारियों को राहत देने के बारे में विचार कर रही है?	**शहरी विकास (निदेशक स्थानीय निकाय)** ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग की जानकारी में नहीं है।

R.S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat